फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना नवाबगंज

दिनांक :- 10.07.2024

मु0अ0सं0 17/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण अवधेश उर्फ भूरे व महेन्द्र उर्फ रिशू व गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अवैध रूप से स्वंयं व अपने परिजनों के नाम अर्जित की गयी अवैध सम्पत्ति कीमत करीब "63,65,900/- (तिरेसठ लाख पैंसठ हजार नौ सौ रूपये)" को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत * श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर दिनाँक 10.07.2024 को कुर्क किया गया ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व **क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरूण कुमार** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली मोहम्मदाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 17/2022 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम 1. अवेधश उर्फ भूरे पुत्र राजकिशोर दुबे 2. महेन्द्र उर्फ रिशू पुत्र स्व0 राजकिशोर दुबे 3. शिवेन्द्र पुत्र राममोहन 4. सौरभ पुत्र प्रवीन चन्द्र दुबे निवासीगण बरारिख कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ द्वारा अवैध रुप से अर्जित स्वयं व स्वयं के परिजनों के नाम पंजीकृत अवैध सम्पत्ति कीमत करीब "63,65,900/- (तिरेसठ लाख पैंसठ हजार नौ सौ रूपये)" श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद के आदेश सं0 15/2022 के द्वारा निम्नांकित सूची में अभियुक्तगण अवधेश उर्फ भूरे व महेन्द्र उर्फ रिशू व उनके परिवारीजन के नाम पंजीकृत अवैध सम्पत्तियों को गैंगस्टर की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किये जाने के लिये आदेश पारित किया गया था। आदेश के अनुपालन में प्रशासन द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट **श्रीमती श्रद्धा पाण्डेय तहसीलदार सदर** एवं **क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण कुमार के नेतृत्व** में प्रभारी निरीक्षक थाना नवाबगंज श्री आमोद कुमार सिंह व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मोहम्मदाबाद श्री मनोज भाटी मय हमराह फोर्स आज दिनाँक 10.07.2024 को कुर्क किया ।

सम्पत्ति का विवरण-

क्र0सं 0	भू/भवन स्वामी का नाम पता	गाटा सं0 व स्थित भूमि	क्षेत्र0 (वर्ग मी0)	वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार मूल्यांकन
01	श्रीमती रेखा देवी पत्नी राजकिशोर दुबे निवासिनी बरारिख थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रूखाबाद	3994, 3988 , 3992, 3993 मोहम्मदाबाद	0.0210 हेक्टेयर	**6,09,000**
02	श्रीमती रेखा देवी पत्नी राजकिशोर दुबे निवासिनी बरारिख थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रूखाबाद	3757, 3934 मोहम्मदाबाद	0.0210 हेक्टेयर	**6,09,000**
03	श्रीमती रेखा देवी पत्नी राजकिशोर दुबे निवासिनी बरारिख थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रूखाबाद	3757 मोहम्मदाबाद	0.0260 हेक्टेयर	**7,54,000**
04	श्रीमती रेखा देवी पत्नी राजकिशोर दुबे निवासिनी बरारिख थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रूखाबाद	398, 504, 439, 441क, 279 ग्राम बरारिख	0.2680 हेक्टेयर	**4,02,000**
05	अवधेश कुमार व महेन्द्र कुमार पुत्रगण राजकिशोर दुबे निवासी बरारिख थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रूखाबाद	653, 125 ग्राम बरारिख	0.798 व 0.015 हेक्टेयर	**12,19,500**
06	श्रीमती रेखा देवी पत्नी राजकिशोर दुबे निवासिनी बरारिख थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रूखाबाद	100,90 ग्राम अतनपुर नवादा	0.1160 हेक्टेयर	**1,62,400**
07	श्रीमती सोनी पत्नी अवधेश कुमार निवासिनी बरारिख थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रूखाबाद	191मि0 ग्राम अलावलपुर	0.304 हेक्टेयर	**4,56,000**
08	श्रीमती रेखा देवी पत्नी राजकिशोर दुबे निवासिनी बरारिख थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रूखाबाद	418 ग्राम सिकन्दरपुर	1.436 हेक्टेयर	**21,54,000**
				63,65,900 (तिरेसठ लाख पैंसठ हजार नौ सौ रूपये)

ज्ञांतव्य है कि उपरोक्त अभियोग में जब्तीकरण की कार्यवाही के अन्तर्गत अभियुक्त अवधेश कुमार व उसके गैंग के सदस्यों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्तियाँ, जिनकी वर्तमान कीमत 63,65,900 (तिरेसठ लाख पैंसठ हजार नौ सौ रूपये) है, को कुर्क कराया गया है। गैंगस्टरों व माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उपरोक्त अभियोग में शीघ्र ही अन्य अवैध सम्पत्तियो की भी जानकारी करते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

कुर्की की कार्यवाही में लगा फोर्सः

1. प्रभारी निरीक्षक श्री आमोद कुमार सिंह थाना नवाबगंज मय हमराह पुलिस बल।
2. प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज भाटी कोतवाली मोहम्मदाबाद मय हमराह पुलिस बल।

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली फर्रूखाबाद

दिनांक :- 11.01.2024

कोतवाली फर्रूखाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर सहित किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **श्री डॉ0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर **श्री प्रदीप कुमार**, कोतवाली प्रभारी कोतवाली फर्रुखाबाद के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0- 126/24 धारा- 147/307/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त लुक्का उर्फ वरूण अग्निहोत्री पुत्र ग्रीशचन्द्र अग्निहोत्री निवासी नुनहाई कोतवाली फर्रूखाबाद को 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर सहित बडा बंगशपुरा दूल्हे साहब मजार बंगशपुरा के पास कोतवाली फर्रूखाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. लुक्का उर्फ वरूण अग्निहोत्री पुत्र ग्रीशचन्द्र अग्निहोत्री उम्र करीब 22 वर्ष निवासी नुनहाई कोतवाली फर्रूखाबाद ।

घटना का विवरण:- दिनांक 26.06.2024 को मुकदमा वादी कौशलेन्द्र सिंह पुत्र स्व० सिद्धनाथ सिंह निवासी आवास विकास हिन्दुस्तान होटल के पीछे बढ़पुर थाना कादरीगेट की लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0- 126/24 धारा- 147/307/504/506 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम 1.हिमांशू सिंह उर्फ लक्की ठाकुर पुत्र मनोज सिंह निवासी चोव दरान पल्ला कोतवाली फर्रूखाबाद, 2.लुक्का उर्फ वरूण अग्निहोत्री पुत्र ग्रीशचन्द्र अग्निहोत्री निवासी नुनहाई कोतवाली फर्रूखाबाद, 3. राहुल पुत्र अज्ञात, 4.तीन अज्ञात व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत हुआ था। जिसमें हिमांशू सिंह उर्फ लक्की ठाकुर द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर मुकदमा वादी कौशलेन्द्र व उसके साथी अनुज के साथ मारपीट की व जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर दिया था। जिसकी गोली अनुज के पैर मे लग गयी थी।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ के दौरान अभियुक्त लुक्का उर्फ वरूण अग्निहोत्री ने जुर्म का इकबाल करते हुये बताया कि मेरे द्वारा परिवारिक विवाद के कारण फायर किया था। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ।

बरामदगी का विवरण :-

1. 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर।

अभियुक्त लुक्का उर्फ वरुण अग्निहोत्री का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 126/24 धारा 147/307/504/506 भादवि0 व बढोत्तरी धारा 3/25 आर्म्स एक्ट।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 मदन लाल पिपिल
2. का0 अंकित पवार
3. का0 सौरभ कुमार
4. का0 मनोज कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली मोहम्मदाबाद

दि0- 10.07.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त जौहरी पुत्र केहरी निवासी हाबुडा कालोनी तकीपुर थाना मोहम्मदाबाद जिला फर्रुखाबाद मु0अ0सं0- 90/2007 वाद स0- 7930/2024 धारा- 25 आर्म्स एक्ट थाना मोहम्मदाबाद में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभि0 के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 10.07.2024 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0 कोर्ट फरू0 द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर जेल में बिताई गयी अवधि व 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

एपीओ - श्रीमती करुणा सिंह

कोर्ट मोहर्रिर का0 मोहित कुमार

पैरोकार का0 सुमित कुमार

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – फतेहगढ़- 112

दिनांक :- 10.07.2024

पीआरवी-2665 के कर्मियों द्वारा एक्सीडेंट की सूचना पर घायल युवक को एम्बुलेंस की सहायता से तत्काल इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया।

दिनांक 09.07.2024 को समय 21:37 बजे कॉलर अनूप नि0- रानलीला ग्राउण्ड थाना शमसाबाद ने 112 पर सूचना दी कि उनका बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, एम्बुलेंस सहायता चाहिए, बाइक मौके पर मौजूद है की सूचना पर पीआरवी कर्मी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे, एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल अनूप पुत्र सन्तराम उम्र लगभग 25वर्ष को पीआरवी से तत्काल इलाज हेतु सीएचसी शमसाबाद ले जाया गया।

पीआरवी कर्मियों की तत्परता और सजगता के चलते समय से घायल युवक को अस्पताल भेजा जा सका। पीआरवी कर्मियों द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया, जिसकी आम जन मानस द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

पीआरवी यूपी-32-डीजी-2665 कर्मियों के नाम:-

1. आ0 प्रवीण कुमार
2. हो0गा0चा0 प्रमोद कुमार

(मीडिया सेल फतेहगढ़)

नया भारत
नया भविष्य
नई शिक्षा
N.C.E.R.T.
OUR SHINING STARS
फतेहगढ़ पुलिस पिंक बूथ
2

GPS Map Camera
Farrukhabad, Uttar Pradesh, India
9HWF+65R, Bhikampura, Farrukhabad, Uttar Pradesh 209625, India
Lat 27.395578°
Long 79.572978°

GPS Map Camera
Check In
Rasulpur Urf Bharatpur, Uttar Pradesh, India
7CW7+8W4, Rasulpur Urf Bharatpur, Uttar Pradesh 209651, India
Lat 27.29532°
Long 79.414412°

Kampil, Uttar Pradesh, India
Kampil - Kaimganj Rd, Kampil, Uttar Pradesh 209505, India
Lat 27.607852°
Long 79.281254°
10/07/24 05:36 PM GMT +05:30